न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-16RAAJodhpur2023-05RTA223 Ramjan ors Vs Firoj etc

1. रमजान खॉ पुत्र श्री रजाक खॉ,
2. आबिद खॉ पुत्र श्री रजाक खॉ,
3. सुबान खॉ पुत्र श्री रजाक खॉ,
4. आबाद खॉ पुत्र श्री रजाक खॉ,
5. इमरान पुत्र श्री रजाक खॉ,
6. गुड्डी पुत्री श्री रजाक खॉ,
7. सुमन पुत्री श्री रजाक खॉ,
8. रूकसाना पुत्री श्री रजाक खॉ,

सभी जातियान मुसलमान, निवासीगण बुचेटी, तहसील बावडी, जिला जोधपुर, हाल निवासी बापू कॉलोनी, न्यू कोहिनूर सिनेमा के सामने. वाली गली, चौपासनी रोड, जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. फिरोज खॉ पुत्र श्री नूर खॉ, जाति सिंधी, निवासी– ग्राम बुचेटी, तहसील बावडी, जिला जोधपुर, हाल निवासी– दले खॉ की चक्की के पास, सिंधियो का बास, नन्दवन, जोधपुर।
2. स्व. श्री आसीन खॉ पुत्र मुशे खॉ, जाति सिंधी मुसलमान के कायम मुकामः–
   2.1. रुकसाना पत्नी स्व. श्री आसीन खॉ पुत्री इब्राहिम खां, जाति सिंधी मुसलमान, निवासी– बुचेटी, तहसील बावडी, जिला जोधपुर, हाल निवासी– बापू कॉलोनी, न्यू कोहिनूर सिनेमा वाली गली, चौपासनी रोड़, जोधपुर।
3. बाना पत्नी श्री ईसुप खॉ,
4. अलाउदीन पुत्र श्री ईसुप खॉ,
5. सलाउदीन पुत्र श्री ईसुप खॉ,
6. मदीना पुत्री श्री ईसुप खॉ,
7. मक्का पुत्री श्री ईसुप खॉ,

निवासीगण – ग्राम बुचेटी, तहसील बावडी, जिला जोधपुर, हाल निवासी– दले खाँ की चक्की के पास, सिंधियो का बास, नन्दनवन, जोधपुर।

8. तहसीलदार बावडी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 जुलाई 2021 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बावड़ी राजस्व मूल वाद संख्या 20/2017 फिरोज खॉ बनाम आसीन खॉ इत्यादि

उपस्थित–
श्री कानसिंह ओड, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री बाबुलाल विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या आठ

नि र्ण य

दिनांक : 25 मई 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बावड़ी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 20/2017 अनवान फिरोज खॉ बनाम आसीन खॉ इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 जुलाई 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 05 जनवरी 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स की ओर से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम बुचेटी तहसील बावड़ी के खेत खसरा संख्या 472/1 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा, खसरा संख्या 472/2 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 476 रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 479 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 480/1 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 578 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा भूमि के संबंध में धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 जुलाई 2021 के जरिये वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने अपनी बहस में तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की तामील सम्यक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रूप से करवाये बिना ही एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित किये गये है। वाद की पत्रावली में दिनांक 20.04.2021 से आगामी पेशी दिनांक 20.07.2021 को मुकर्रर की गई। दिनांक 20.07.2021 को पत्रावली में स्पष्ट वर्णित है कि 'पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी कार्य सरकार भ्रमण अवकाश पर है। पत्रावली ईल्तुबा होकर दिनांक 06.08.2021 को पेश हो।' दर्ज की गई, इसके उपरान्त भी दिनांक 06.08.2021, 12.11. 2021, 14.01.2022, 11.02.2022, 18.02.2022, 08.04.2022 की पेशी दी गई तथा दिनांक 27.05.2022 को तलबी हेतु अवसर देते हुए आगामी दिनांक 10.06.2022 की पेशी दी गई थी। इसके पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2022, 22.07.2022, 22.09.2022, 21.10.2022 की पेशी दी गई तथा पत्रावली विचाराधीन चल रही थी। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिस दिवस आलौच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2021 पारित किये गये है, उस दिन पीठासीन अधिकारी कार्य, सरकार भ्रमण, अवकाश पर है, का इन्द्राज पत्रावली में किया हुआ है। अर्थात पीठासीन अधिकारी उस दिवस मौजूद ही नही थे तो आलौच्य निर्णय व डिक्री किसके द्वारा पारित किया गया और उक्त अलौच्य निर्णय व डिक्री पारित करने के उपरान्त भी पत्रावली आज दिन तक लगातार चल रही है अर्थात निर्णित नही हुई है, ऐसे में आलौच्य निर्णय व डिक्री संदेहास्पद है। यह उल्लेखनीय है कि आलौच्य निर्णय व डिक्री एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए बिना अपीलार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये पारित किया गया है। पत्रावली वर्तमान में भी प्रतिवादीगण की तामील में चल रही है। इस कारण आलौच्य निर्णय व डिक्री बिना अपीलार्थीगण को समुचित अवसर प्रदान किया गया होने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन के वाद में बिना विभाजन प्रस्ताव तलब किये ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये मनमर्जी से अलग–अलग खसरों में अलग–अलग खातेदारों को कम–ज्यादा भूमि देते हुए वाद को डिक्री किया गया है, जो कि न्यायसंगत नही है। राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थीगण का 1/4 हिस्सा दर्ज है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 का भी 1/4 हिस्सा दर्ज है, इसके उपरान्त भी अपीलार्थीगण को केवल खसरा नम्बर 476 में रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 को खसरा नम्बर 479 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 480/1 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा दर्ज करते हुए आलौच्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्णय व डिक्री पारित की है अर्थात विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना राजस्व रेकर्ड में दर्ज उनके 1/4–1/4 हिस्से को बिना किसी घोषणा के अनुतोष के परिवर्तित किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पति का कोई सिद्धान्त नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर भी गौर किये बिना आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.07.2021 अपीलार्थीगण की गैर हाजरी में तथा अपीलार्थीगण को सुनवाई व सूचना का अवसर दिये बिना पारित किये जाने से अपीलार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नहीं हो सकी। आलौच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.07.2021 को पारित की गई, जबकि पत्रावली में इस दिवस को पीठासीन अधिकारी कार्य सरकार भ्रमण अवकाश पर दर्ज है। राजस्व रेकर्ड नामान्तरकरण की नकल दिनांक 03.11.2022 को प्राप्त होने पर पर ज्ञात हुआ कि उक्त वाद में निर्णय व डिक्री हो चुकी है, जिसकी नकल हेतु आवेदन किया, परन्तु पत्रावली में आलौच्य निर्णय व डिक्री मौजूद नहीं थी, काफी प्रयासों के पश्चात् दिनांक 07.12.2022 को आलौच्य निर्णय व डिक्री नकल प्राप्त हुई, जिसको पढवाने से अपीलार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पूर्ण जानकारी हुई। अपीलार्थीगण द्वारा प्रथम जानकारी यह अपील अन्दर मियाद पेश की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बावड़ी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 20/2017 अनवान फिरोज खॉ बनाम आसीन खॉ इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 जुलाई 2021 को अपास्त किया जावे तथा माफिक अनुतोष वाद स्वीकार फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वे विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। विचारण न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक–हिस्से अनुसार विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। अपीलांट्स का सुनवाई के संबंध में उज्र है तो विचारण न्यायालय के समक्ष नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर सुनवाई करवाने हेतु स्वतंत्र है। गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक पत्रावली दिनांक 23.12.2022 तक प्रतिवादीगण की तामील में विचाराधीन होना प्रकट होती है। उक्त तिथि पर वादी के अधिवक्ता द्वारा पूर्व में मामले में निर्णय होने के कथन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली में पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 20.07.2021 की तारीख में हस्ताक्षरित निर्णय सलंग्न होना मानते हुए पत्रावली को फैसल किया जाना प्रकट होता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 20.07.2021 के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त पेशी पर पीठासीन अधिकारी के कार्य सरकार भ्रमण, अवकाश पर होने की मुकर लगाकर आगामी पेशी दिनांक 06.08.2021 नियत की गई है। उक्त पेशी में न तो बहस सुने जाने एवं न ही निर्णय प्रसारित किये जाने का अंकन है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रतिवादीगण/अपीलांट्स की सम्यक तामील करवाये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा मामले में पक्षकारान् की बहस सुने बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों, न्यायिक प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धातों के विपरीत पारित किये जाने पाये जाते है।

यह उल्लेखनीय है कि वादी की ओर से विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद में विधिनुसार निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार बावड़ी से विभाजन प्रस्ताव तलब किये बिना ही सीधे ही पक्षकारान् के हिस्से परिवर्तित कर अलग–अलग खसरे उनके बंट में रखकर पत्रावली को विधिविरूद्ध तरीके से फैसल किया जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बावड़ी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 20/2017 अनवान फिरोज खॉ बनाम आसीन खॉ इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 जुलाई 2021 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देष के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत वाद में वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत विधिनुसार मामले का पुनः निस्तारण करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 15 जून 2026 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर